संख्या–154/अड़तीस–5–13–2 स्वजल/2011

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–5 लखनऊः दिनॉक 30 जनवरी, 2013

विषयः–राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–47/डब्लू–314 (एसी)/ 13, दिनांक 15 जनवरी, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उक्त पत्र द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 03.01.2013 में लिए गये निर्णय के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रतिनिधायन के आदेश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

3– वर्तमान में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन निम्नवत हैः–

(1) रूपये 25,000.00 तक के कार्यालय व्यय एवं वेतन आदि व्ययों के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के वित्तीय सलाहकार द्वारा दी जायेगी।

(2) रूपये 25,000.00 से रू0 5.00 लाख तक के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी जायेगी।

(3) रू0 5.00 लाख से अधिक के भुगतान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अध्यक्ष, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा दी जायेगी।

4– इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की दिनांक 03.01.2013 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रस्तर–3 में पूर्व की व्यवस्था को अवक्रमित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रतिनिधायन की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के व्यय हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग समिति (एस0एल0एस0एस0सी0) के अनुमोदनोपरान्त बजट की उपलब्धता की सीमा तक

JD/FA
01/02
FA
2.2.13

D:\2 [illegible]\2012\SC (Sanjay)\go-1.doc

समस्त प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किये जाते हैं।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत एस0एल0एस0एस0सी0 योजनाओं एवं गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य व्यय हेतु :–

(I) विभागाध्यक्ष के समकक्ष अधिकार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को प्रदान किया जाता है।

(II) रू0 1.00 लाख तक के आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय आदि के भुगतान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के वित्तीय सलाहकार द्वारा दी जायेगी।

(III) विभागाध्यक्ष के अधिकारों की सीमा के ऊपर के व्यय का अनुमोदन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारिणी समिति द्वारा दिया जायेगा।

5– कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

संख्या– 154 (1)/अड़तीस–5–13, तददिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2,3/ वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
अनु सचिव।

D:\2 kmh\2012\80 (Sanjay)\go-1.doc